

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पीसी-VI/216
सं. पी सी-VI/2010/आई/आरएसआरपी/5

आर बी ई सं. 102/2010
नई दिल्ली, दिनांक: 22.07.2010

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलें),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 - रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 6 के अंतर्गत दिए गए विकल्प में संशोधन।

रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 11 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार, जिन रेलवे कर्मचारियों ने 01.01.2006 से मौजूदा वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखने तथा 01.01.2006 के बाद की किसी तारीख से संशोधित वेतनमान में वेतन लेने का विकल्प दिया हो तो संशोधित वेतनमान में बाद की तारीख से उनका वेतन रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 11 (i) के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा। इन नियमों के नियम 5 के अनुसार, 01.01.2006 के बाद की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन लेने का यह विकल्प रेलवे कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है:-

- (i) जो कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में अपनी अगली अथवा किसी उत्तरवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक अथवा उस पद को खाली करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन लेना बंद करने तक मौजूदा वेतनमान में वेतन लेने का चयन करते हैं।
- (ii) जिन कर्मचारियों को पदोन्नति, वेतनमान के अपग्रेडेशन आदि के कारण 01.01.2006 तथा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच उच्चतर वेतनमान में रखा गया है, वे रेल कर्मचारी ऐसी पदोन्नति, अपग्रेडेशन आदि की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन लेने का विकल्प दे सकते हैं।

3. रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 6 (1) के अनुसार, इन नियमों के जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर दूसरी अनुसूची के साथ संलग्न फॉर्मेट में विकल्प दिया जाना था।

4. इसके अलावा, नियम 6 (4) में प्रावधान है कि एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। कर्मचारी पक्ष ने इस मुद्दे पर प्रतिवेदन किया है तथा यह अनुरोध किया है कि पे बैंड तथा ग्रेड पे की नई प्रणाली को ध्यान में रखते हुए दिए गए पहले विकल्प को अंतिम नहीं माना जाए तथा उन कर्मचारियों को अपना विकल्प बदलने की अनुमति दी जाए जिनके लिए लिए संशोधित विकल्प अधिक लाभकारी हो।

5. आगे और विचार करने पर तथा रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के तहत उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी ने निर्णय लिया है कि इन नियमों के नियम 6 (4) के तहत इस अनुबंध में छूट देते हुए कर्मचारियों को 31.12.2010 तक अपना प्रारंभिक विकल्प बदलने की अनुमति होगी यदि संशोधित विकल्प उनके लिए अधिक लाभकारी हो। संशोधित वेतन नियम, 2008 के नियम 6 (2) के प्रावधान के अनुसार रेलवे कर्मचारी द्वारा अपने प्रधान कार्यालय में संशोधित विकल्प की सूचना दी जाए।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।



(हरि कृष्ण) 10

निदेशक, वेतन आयोग-II,
रेलवे बोर्ड

सं. पी सी-VI/2010/आई/आरएसआरपी/5

नई दिल्ली, दिनांक: 22.07.2010

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली को (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित।


कृते वित्त आयुक्त, रेलें।

**Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)**

**S.No.PC-VI/216
No.PC-VI/2010/II/RSRP/5**

**RBE No.102/2010
New Delhi, dated 22.07.2010**

**The GMs/CAOs(R),
All Indian Railways & Production Units
(As per mailing list)**

Subject: Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 - Revision of option exercised under Rule 6 of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008.

In accordance with the provisions contained in Rule 11 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, where a Railway servant opts to continue to draw his pay in the existing scale from the 1st day of January 2006 and switch over to the revised scale from a date later than the 1st day of January, 2006, his pay from the later date in the revised scale is required to be fixed under Rule 11(i) of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008. As per Rule 5 of these Rules, this option to switch over to the revised pay structure from a date later than 1.1.2006 is available to a Railway Servant :-

- (i) who elects to continue to draw pay in the existing scale until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing scale or until he vacates his post or ceases to draw pay in that scale.
- (ii) who has been placed in a higher pay scale between 1.1.2006 and the date of notification of these Rules on account of promotion, upgradation of pay scale etc. the Railway servant may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion, upgradation etc.

2. As per Rule 6(1) of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 the option in the format appended to the Second Schedule was required to be exercised within three months from the date of issue of these Rules.

3. Further Rule 6(4) provided that the option once exercised shall be final. The Staff Side has represented on this issue and have requested that the first option exercised may not be treated as final keeping in view the new system of pay band and grade pays and those employees may be allowed to revise their option if the option is more beneficial to them.

-2:-

4. On further consideration and in exercise of the powers available under Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, the President is pleased to decide that in relaxation of stipulation under Rule 6(4) of these Rules employees may be permitted to revise their initial option upto 31.12.2010 if the option is more beneficial to them. The revised option shall be intimated to the Head of his Office by the Railway servant in accordance with the provision of Rule 6(2) of the Revised Pay Rules, 2008.

5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways



(Hari Krishan) 10
Director, Pay Commission II
Railway Board.

No.PC-VI/2010/II/RSRP/5

New Delhi, dated 22.07.2010

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India
(Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares)



for Financial Commissioner/Railways.